विस्तृत विज्ञप्ति

राजस्थान–सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR. SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN दूरभाष 0141-2227033, 2227725)

क्रमांकः एफ61(21)SSAAT/नियमावली/2019/3832 जयपुर, दिनांकः– 3-11-2021

(आदेश सं. 55/2021)

विज्ञापन संख्या 1

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए निम्नांकित सेवाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशों/अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु सोसायटी द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर मोड्यूल/एप्लीकेशन में निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. सेवाओं के लिए मुख्य शर्तो का सारांशः–

क्र. स.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताऐं		
				शैक्षणिक	तकनीकी/प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)
1.	सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS)	1	40,000 /– प्रति माह (मासिक संविदा आधारित)	स्नातकोत्तर	सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक	21 से 40 वर्ष
2.	राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP)	6	20,000 /– प्रति माह (मासिक संविदा आधारित)	स्नातकोत्तर /MSW	सूचना प्रोद्योगिकी/ कम्प्यूटर में डिप्लोमा /डिग्री धारक	21 से 40 वर्ष
3.	जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) (3 प्रति जिला)	99	20,000 /– प्रति माह (मासिक संविदा आधारित)	स्नातक	सूचना प्रोद्योगिकी/ कम्प्यूटर में डिप्लोमा /डिग्री धारक	21 से 40 वर्ष

2. आवेदन हेतु दिशा–निर्देश

i. ऑनलाइन आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन (Online Software Application) के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जाने हैं।

ii. कोई भी आवेदन भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाना अनुमत नहीं होगा। चयन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया/कार्यवाही सम्बन्धी पत्राचार यदि किसी भी आवेदक या अन्य किसी भी प्रभावित पक्ष द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत किये जावेंगे तो उन पर सोसायटी (SSAAT) में कोई भी कार्यवाही नहीं की जावेगी।

iii. ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Applications) भरने सम्बन्धी तकनीकी दिशा–निर्देश संलग्न परिशिष्ट– 'क' पर देखकर फार्म भरा जा सकता है। यह परिशिष्ट सोसायटी की Website:- https://www.socialaudit.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता हैं। कोई तकनीकी समस्या की स्थिति में हमारी E-Mail-Dir.socialaudit@rajasthan.gov.in पर अपनी समस्या का विवरण भेज कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

iv. उक्त आवेदन पत्र भरने हेतु आवेदक चाहे तो https://youtu.be/hQma4uhMF8g लिंक पर Youtube चैनल– Sanjivani 4U पर विडियो देखकर भी आवेदन पत्र भरने बाबत् मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

3. <u>सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र (**Online Application Form**)</u> में समस्त वांछित सूचनाएँ आवश्यक रूप से अंकित करनी होंगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व SSAAT की वेबसाइट https://www.socialaudit.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यान पूर्वक भरें क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जावेगा। <u>कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।</u>

4. <u>परीक्षा शुल्कः–</u> आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क अपने मोबाईल/कम्प्यूटर के माध्यम से निर्धारित लिंक पर जाकर सोसायटी (SSAAT) के बैंक बचत खाता संख्या – 38872762396, IFSC Code - SBIN0031031 स्टेट बैंक आफ इण्डिया (SBI), सचिवालय शाखा, जयपुर में जमा करवाना होगा।

i. सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – रूपये 100/–

ii. राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग, के आवेदक हेतु – रूपये 75/–

iii. समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु – रूपये 50/–

iv. कार्मिक विभाग के प्रपत्र क्रमांक प.8(3)कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 50/– देय हैं।

5. **पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्ते :–** उक्त सेवाऐं सोसायटी के सक्षम स्तर से अनुमोदित एवं सोसायटी की बेवसाईट https://www.socialaudit.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विनियमों के अनुसार ली जावेगी। इस हेतु कृपया सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की बेवसाइट पर उपलब्ध सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक: एफ61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7497–7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावे। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताऐं निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें :–

अ–सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS):–

सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

(i) **शैक्षणिक योग्यता**– कम से कम स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(ii) **प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता**– सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
(iii) **आयु**– आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य।
(iv) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
(v) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
(vi) आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि हो, जिसे कम से कम 5 वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।

ब–राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP):–

राज्य संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

(i) **शैक्षणिक योग्यता**– कम से कम स्नातकोत्तर/MSW(Master in Social work) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(ii) **प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता**– सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
(iii) **आयु**– आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य।
(iv) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
(v) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
(vi) आवेदक सिविल सोसायटी/स्वयंसेवी संगठन से होना चाहिए, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।

स–जिला संसाधन व्यक्ति (DRP):–

जिला संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

(i) **शैक्षणिक योग्यता**– कम से कम स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(ii) **प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता**– सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्यूटर में डिप्लोमा / डिग्री धारक

(iii) **आयु**– आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य।

(iv) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

(v) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।

(vi) आवेदक सिविल सोसायटी / संगठन से होना चाहिए, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण / जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।

6. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :–

i. ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) के साथ ही परीक्षा शुल्क सोसायटी की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक (Apply Online) पर पूर्ण आवेदन भरने के उपरान्त बैक के ऑनलाईन पेमेन्ट गेट–वे के माध्यम से सोसायटी (SSAAT) के बचत खाता संख्या– 38872762396, IFSC Code - SBIN0031031, स्टेट बैंक आफ इण्डिया (SBI), सचिवालय शाखा, जयपुर में निर्धारित दिनांक से पूर्व जमा करवाना होगा।

ii. ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 10.11.2021 से दिनांक 09.12.2021** को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की बेवसाईट https://www.socialaudit.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply Online पर Click करके भरे जा सकते हैं।

iii. हांलाकि उपरोक्तानुसार अंकित अवधि में ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application Forms) भरे जा सकते हैं परन्तु आखिरी समय की आपाधापी (Last Minute Hassle) से बचने के लिये सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पूर्व ही अपने आवेदन–पत्र विधिवत् रूप से भर कर निश्चिंत हो जावें। फार्म भरने की अंतिम तिथि / समय पर नेटवर्क की समस्या, अन्य कोई बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में सोसायटी (SSAAT) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7. मैरिट बनाना एवं दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों का सत्यापन:–

i. चूँकि समस्त चयन प्रक्रिया ऑनलाइन (Online) माध्यम से ही की जावेगी। अतः सभी आवेदकों से यह अपेक्षा है कि वे समस्त प्रक्रिया, दिशा–निर्देशों को भली–भाँति समझ लेवें तथा आवेदन–पत्र पूर्ण शुद्धता पूर्वक भरें अन्यथा चयन प्रक्रिया से वंचित होने पर वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

ii. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित पात्रता परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अस्थायी वरीयता सूची (Merit List) बनायी जावेगी और इसका प्रकाशन सोसायटी (SSAAT) बेवसाईट (Website) पर किया जावेगा। अतः सभी आवेदकों को अपनी पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत की गणना पूर्ण सावधानीपूर्वक कर लेनी चाहिये और Online पत्र भरते समय संबंधित कॉलम में अंकित % की जांच कर लेनी चाहिये क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा गणना में गलती की स्थिति में वह अस्थायी वरीयता से बाहर हो जावेंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। सोसायटी (SSAAT) का इस बाबत् कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

iii. आवेदकों का चयन निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची बनाकर किया जाना है। यदि संदर्भित पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समान आता है तो उस स्थिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में प्रचलित नियम/व्यवस्था के अनुसार मैरिट का निर्धारण किया जायेगा।

iv. इसी प्रकार किसी आवेदक की चयन पात्रता का निर्धारण उनके द्वारा Online आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले वांछित दस्तावेज होंगे, जो सोसायटी के विनियमों में अपेक्षित हैं। ये दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से पठनीय (Readable) होने चाहिये। अतः वांछित दस्तावेजों की पठनीय सॉफ्ट प्रतियाँ आवेदन–पत्र भरने से पूर्व ही अच्छी प्रकार से तैयार करके रखें और यथा स्थान सभी दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें।

v. जो भी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड (Upload) किये जावें उनकी मूल प्रतियाँ (Original Documents) चयन समितियों के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी। मूल दस्तावेजों की जाँच हेतु केवल वरीयता सूची (Merit List) में सम्मिलित आवेदकों को आवश्यकतानुसार यथा समय पृथक से इसी Website पर सूचित किया जावेगा।

vi. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिये आवेदक स्वयं उतरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

vii. जो आवेदक सद्‌चरित्र नहीं पाये जावेंगे या सजायाफ्ता होंगे उन्हें चयन प्रक्रिया से वंचित करने हेतु सोसायटी के पास सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं। ऐसे लोगों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यदि ऐसे लोगों का चयन सहवन/छद्म सूचनाओं के आधार पर हो जाता है तो इन्हें चयन उपरान्त सेवा से हटाने के सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, सोसायटी (SSAAT) के पास सुरक्षित हैं तथा इनके विरूद्ध उचित पुलिस/कानूनी कार्यवाही भी की जावेगी।

viii. दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की बेवसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थिति रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रूचि नहीं रखते हैं, वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

8. जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित हैं, वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबन्ध किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रू. के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र (Agreement) भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवायें पूर्णतः अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित हैं।

9. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिये। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।

10. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर उसका अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्षा, कार्यकारी समिति (EC), SSAAT को प्राप्त होंगे।

11. किसी भी विवाद की स्थिति में अपनी अपील श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्षा, कार्यकारी समिति (EC), SSAAT को E-Mail - rdpr@rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जा सकती है, जिनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।

12. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।

यह विज्ञप्ति श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्षा, कार्यकारी समिति (EC), SSAAT की आई. डी. सं PS/PSRDPR/MR/845 दिनांक 25.10.2021 से अनुमोदित हैं।

(डॉ0 कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव, ग्रा.वि.वि.
सह सदस्य सचिव, **GB, SSAAT**

राजस्थान–सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR. SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN दूरभाष 0141-2227033, 2227725)

परिशिष्ट 'क'

"सामाजिक अंकेक्षण मानव संसाधन चयन – 2021" हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने संबंधी दिशा निर्देशः–

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर में सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS), राज्य संसाधन व्यक्तियों (SRPs), जिला संसाधन व्यक्तियों (DRPs), ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRPs), ग्राम संसाधन व्यक्तियों (VRPs) की चयन प्रक्रिया अर्थात "सामाजिक अंकेक्षण मानव संसाधन चयन – 2021" के लिए ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। इस हेतु सोसायटी की वेबसाईट पर उपलब्ध Link के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिये आवेदकों द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया (steps) का पालन करके आवेदन–पत्र भरा जा सकता है:–

1. आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट https://WWW.socialaudit.rajasthan.gov.in पर Visit करें।
2. वेबसाइट मुख्य पृष्ठ (Home Page) पर उपलब्ध Apply online लिंक पर क्लिक करें।
3. रजिस्टर करने के लिए अपना नाम, मोबाईल नम्बर, (यह सलाह है कि पासवर्ड कम से कम आठ अक्षरों का Alpha+Numeric+Spl Character वाला होना उचित होगा।) पासवर्ड डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें।
4. जो आवेदक पहले से रजिस्टर कर चुके हैं वे Login Now पर क्लिक करें।
5. Member Login पेज पर मोबाईल नम्बर को सेलेक्ट करें अपना मोबाईल नम्बर एवं पासवर्ड दर्ज करें। (यदि आप पासवर्ड भूल गये हों तो Request OTP पर क्लिक करें।)
6. आपके मोबाईल नम्बर पर एक OTP आयेगा उसको Enter OTP वाले बॉक्स पर डालने के बाद Login पर क्लिक करें।
7. आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्नांकित दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपने साथ फार्म भरने से पूर्व तैयार रखें:–

- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी (साइज अधिकत्तम 300 KB)
- हस्ताक्षर (हिन्दी एवं अंग्रेजी एक ही पेज पर) की सॉफ्ट कॉपी (साइज अधिकत्तम 200 KB)
- आप द्वारा उत्तीर्ण कक्षाओं 10th, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं की अंकतालिकाएं आदि की अंकतालिकाओं की सॉफ्ट कॉपी (साइज अधिकत्तम 500 KB)
- Experience Certificate (निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी) (साइज अधिकत्तम 500 KB)

8. आवेदन फॉर्म में 4 पृष्ठ (Tabs) हैं, जिन्हें आवेदक द्वारा भरा जाना हैं:– (क) बुनियादी विवरण, (ख) व्यक्तिगत विवरण, (ग) योग्यता एवं अनुभव और (घ) हस्ताक्षर।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी
(ग्रामीण विकास विभाग राज0 जयपुर)

9. (क) बुनियादी विवरणः— आवेदक अपनी अपेक्षित सूचनाएँ भरें। निम्न बिन्दुओं पर आपके मार्गदर्शनार्थ प्रक्रिया दर्शायी गयी हैः—

I. उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में):— अपने Web browser (Google chrome, Mozilla, Firefox, Internet explorer) में नया टेब ओपन करें। उसमें English to Hindi Translate type करें अपना नाम अंग्रेजी में लिखें, ये नाम हिन्दी में अपने आप Convert होकर आ जायेगा। वहाँ से हिन्दी वाले नाम को कॉपी करें एवं उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) वाले Text box में Paste करें।

II. Date of Birth- जन्म दिनांक वाले Text box में कलैण्डर पर क्लिक करें। Triangle (त्रिभुज) पर क्लिक करके वर्ष (Year) के लिए स्क्रोल (Scroll) करें। उसके बाद महिना एवं उसके बाद दिनांक सेलेक्ट करें।

बुनियादी विवरण भरने के बाद Save & Next पर क्लिक करें।

(ख) व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद Save & Next पर क्लिक करें।

(ग) योग्यता एवं अनुभवः—

I. शैक्षणिक योग्यता में माध्यमिक परीक्षा (Secondary) से आप द्वारा अर्जित उच्चतम शैक्षणिक एवं तकनिकी परीक्षाओं का अपेक्षित कॉलम वार समस्त विवरण (Detail) भरना अनिवार्य है।

II. यदि आपने किसी संस्था के साथ कार्य किया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र हेतु सबसे पहले निर्धारित फोरमेट को डाउनलोड करें। उसको संस्था के लेटर हेड पर सक्षम अधिकारी से समस्त वांछित सूचनाओं सहित भरवा कर टंकित करवाकर हस्ताक्षर करवाकर प्राप्त करें तत्पश्चात् उस प्रमाण—पत्र को यहाँ अपलोड करें।

योग्यता और अनुभव के सभी विवरण भरने के बाद Save & Next पर क्लिक करें।

(घ) हस्ताक्षर एक कागज पर आप हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करके उसे स्केन कर आपके हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।

10. उपरोक्त समस्त सूचनाएँ सही, पूर्ण हैं तथा समस्त दस्तावेजात (Documents) आप द्वारा अपलोड कर दिये गये हैं, यह सुनिश्चित करना आवेदक की जिम्मेदारी है।

"किसी भी अपूर्ण सूचना अथवा दस्तावेज के अभाव में या अनुपयुक्त दस्तावेज लगाने/अपलोड करने पर आपका आवेदन—पत्र निरस्त कर दिये जाने पर समस्त उत्तदायित्व आवेदक का ही होगा।"

" **इसके लिये कोई** पत्राचार भी स्वीकार नहीं किया जावेगा।"

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी
(ग्रामीण विकास विभाग राज० जयपुर)

11. **Preview :–** आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर Submit करने के उपरान्त Preview आवेदन–पत्र प्राप्त होगा जिसमें संशोधन (Edit) करने का भी Option होता है। यदि जरूरत हो तो आवेदक कोई गलत/अपूर्ण प्रविष्टि को Edit पर जाकर दुरूस्त (Correct) कर सकते हैं।
12. इसके पश्चात आप संतुष्ट हों तो पुन Submit करने पर आपको आवेदन शुल्क (Fee) जमा कराने का पृष्ठ उपलब्ध होगा।
13. पेमेंट वाले पेज पर अपनी केटेगरी Choose करें एवं सबमिट करें।

    अपने आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु प्राप्त बॉक्स में आप उचित सूचनाएँ भर कर सबमिट करने पर सामान्य ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया अनुसार आवेदन शुल्क जमा हो जावेगा।
14. आवेदक यदि चाहें तो स्वयं के मोबाइल/डेस्क टॉप/लेप टॉप द्वारा आवेदन–पत्र भरकर सबमिट कर सकते हैं।
15. यदि आवेदक ई–मित्र कियोस्क पर आवेदन भरवाने हेतु सहायता लेना चाहें तो उसके लिये उन्हें निर्धारित शुल्क पृथक से देना होगा।
16. आवेदन–पत्र भरवाने हेतु ई–मित्र कियोस्क द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विवरण सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग के आदेश क्रमांक F 5 (373)/DoIT/Project/09/VI/03319/2021 दिनांक 15.09.2021 में वर्णित है। यह आदेश सोसायटी की Website में Policy, Rules & Orders के अन्तर्गत ऑडर्स/सरकूलर्स (Orders/Circulars) में देखा जा सकता है।
17. उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जायेगा।
18. अब आप My profile में जाकर Logout कर सकते हैं।

Note:-

01. आपके रजिस्टर्ड मोबाईल एवं Email id पर प्राप्त संदेशों को संभाल कर रखें और उनके अनुसार कार्यवाही करें क्योंकि Online आवेदन एवं चयन प्रक्रिया हेतु आपको कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा। आप सोसायटी की Website लगातार देखते रहें जिसमें समस्त सूचनाएँ पारदर्शिता पूर्वक नियमित रूप से प्रकाशित की जावेंगी।
02. समस्त स्कैन किये जाने वाले दस्तावेजों जैसे फोटो, हस्ताक्षर, अंक तालिकाएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र की अधिकतम साईज उपरोक्त बिन्दु सं. 7 में अंकित अनुसार ही होनी चाहिए।
03. फॉर्म सबमिट होने के बाद त्रुटियों को संशोधित नही किया जा सकेगा। अतः आप सबमिट करने से पूर्व स्वयं सभी सूचनाओं तथा दस्तावेजों की जाँच कर लेवें।
04. एक से अधिक सेवाओं के लिये आवेदन करने के लिए अलग–अलग आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं हैं। यदि पात्रता की शर्तों के अनुसार एक से अधिक सेवाओं के लिये पात्र आवेदक हैं तो आप एक ही आवेदन पत्र में आपके इच्छित सभी सेवाओं के लिये एक साथ ही आवेदन कर सकते हैं।

(विजय सिंह)
प्रोगामर (SSAAT)

(रामावतार शर्मा)
निदेशक (SSAAT)

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
(ग्रामीण विकास विभाग राज0 जयपुर)